

कार्यालय:- महानिदेशक राज्य परिवहन हरियाणा, चण्डीगढ़।


सेवा में,

उप प्रधान सचिव,
माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा।

क्रमांक 4667 टी0आई0-4
दिनांक 23.10.13

विषय:- अप्रर्याप्त बस सेवा बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपके कार्यालय के डायरी क्रमांक 1747/
दिनांक 25.09.2013 के संदर्भ में अवगत करवाया जाता है कि सन्दर्भित पत्र सीधे इस
कार्यालय में दिनांक 25.09.2013 को प्राप्त हुआ था, जिस पर तत्काल कार्यवाही करते
हुए हरियाणा राज्य परिवहन के सभी महाप्रबन्धकों को आमजन व विद्यार्थियों को स्कूल
में पहुंचने के समय व छुट्टी के समय प्रर्याप्त बस सेवाएं उपलब्ध करवाने बारे दिनांक
08.10.2013 को निर्देश जारी करके अतिरिक्त, महानिदेशक, पुलिस गुप्तचर, हरियाणा
को उनके कार्यालय के पत्र क्र0 568/पी0ए0/ए0डी0जी0पी0/सी0आई0डी0 दिनांक
26.09.2013 के संदर्भ में सूचित किया जा चुका है।


कृते: महानिदेशक राज्य परिवहन,
हरियाणा, चण्डीगढ़।
(N)